प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 08.10.2021

हत्या के प्रयास के अभियोग में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना अन्तू)

जनपद प्रतापगढ़ के थाना अन्तू से उ0नि0 श्री कमलेश कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 401/2021 धारा 307, 323, 504, 506 भादवि से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 1. अनिल पाल पुत्र भोला पाल नि0 किशुनगंज सण्डवा चन्द्रिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ 02. राकेश कुमार गुप्ता पुत्र मेवालाल गुप्ता नि0 सूरजपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के सण्डवा चन्द्रिका अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.10.2020 की रात्रि को पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर आरोपीगण द्वारा वादी के भाई को धारदार हथियार व लाठी–डण्डों से जान से मारने की नियत से मारा–पीटा गया जिससे वह घायल हो गया। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 401/2021 धारा 307, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. अनिल पाल पुत्र भोला पाल नि0 किशुनगंज सण्डवा चन्द्रिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ।
02. राकेश कुमार गुप्ता पुत्र मेवालाल गुप्ता नि0 सूरजपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री कमलेश कुमार पाण्डेय, आरक्षी मनीष कुशवाहा, व आरक्षी अनिल यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

रंगदारी/फिरौती के अभियोग से संबंधित, 02 शातिर लुटेरे गिरफ्तार 01 अवैध तमंचा, 02 कारतूस 12 बोर, 05 अदद देशी बम, एक मोटर साइकिल व 02 मोबाइल फोन बरामद– (थाना रानीगंज)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर दिये जा रहे निर्देश के क्रम में कल दिनांक 07.10.2021 को थाना रानीगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित/वारंटी/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के पावर हाउस तिराहे के पास से एक मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोका गया तो वे मोटर साइकिल मोड़कर पीछे भागने लगे, उनके अपराधी होने के संदेह में पुलिस टीम द्वारा उन दोनों व्यक्तियो का पीछा कर उनको पहलवान वीर बाबा स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों 01 फहद पुत्र अशफाक नि0 मुनि का पुरवा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ 02.अभिषेक सरोज उर्फ ठाकुर पुत्र बद्रीप्रसाद सरोज नि0 मुनि का पुरवा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन (वीवो एवं हॉनर

कम्पनी के), 01 अदद अवैध तमंचा, एक अदद जिन्दा, एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर, 05 अदद देशी बम एवं 01 अदद हीरो एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल रंग काला/लाल बरामद की गयी।

इस संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 550/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम फहद उपरोक्त व मु0अ0सं0 551/2021 धारा 4/5 विष्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों के पास से बरामद मोबाइलों की जांच की गयी तो उसमें से एक मोबाइल में जो नम्बर मिला उस नम्बर से दिनांक 22.09.2021 को थाना क्षेत्र रानीगंज के एक व्यक्ति से रंगदारी/फिरौती की मांग की गयी थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 549/2021 धारा 386, 286, 507, 504 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद उक्त मुकदमें से संबंधित मोबाइल/नम्बर के संबंध में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त फहद द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.09.2021 को मैनें इसी मोबाइल से गांव के एक व्यक्ति के मोबाइल नम्बर पर कॉल की थी उसके द्वारा फोन काट दिया गया। इस पर मैनें मैसेज करके उस व्यक्ति से 40000/– रू0 की फिरौती मांगी थी। इसके बाद दिनांक 25.09.2021 को रात्रि में मै तथा अभिषेक दोनों लोग गांव के उस व्यक्ति के घर पहुंचे वहां पर अभिषेक द्वारा हमारे पास जो तमंचा बरामद है, इसी तमंचे से उस व्यक्ति को डराने/धमकाने के लिये फायर किया था, वही खोखा कारतूस अभी भी तमंचे में फंसा हुआ है। फायर करने के 10 मिनट बाद मेरे मोबाइल उपरोक्त से अभिषेक ने फोन करके गांव के उसी व्यक्ति से पुनः 40000/– रू0 की रंगदारी/फिरौती मांगी। पैसा न देने पर पूरे परिवार को गोली मारने की धमकी दी थी। इसके बाद हम लोग सिम को निकाल दिये थे, आज हम लोग पुनः वही सिम मोबाइल में लगाकर तथा तमंचा व बम लेकर पुनः उस व्यक्ति को डराने/धमकाने जा ही रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–**</u>

1. फहद पुत्र अशफाक नि0 मुनि का पुरवा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. अभिषेक सरोज उर्फ ठाकुर पुत्र बद्रीप्रसाद सरोज नि0 मुनि का पुरवा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

<u>**बरामदगी–**</u>

01. 02 अदद मोबाइल फोन (वीवो एवं हॉनर कम्पनी)।
02. 01 अदद अवैध तमंचा12 बोर।
03. एक अदद जिन्दा12 बोर।
04. एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर।
05. 05 अदद देशी बम।
06. एक अदद हीरो एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल रंग काला/लाल(नम्बर यूपी 72 एवाई 6938)।

<u>**पुलिस टीम–**</u> थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य आरक्षी इरफान अहमद, आरक्षी रवि सिंह व आरक्षी यतेन्द्र कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना लालगंज)

जनपद प्रतापगढ़ के थाना लालगंज से उ0नि0श्री असलम खां मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 637/2021 धारा 354, 354क, 354ख, 354घ, 504, 506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त विकास सिंह पुत्र राजकुमार सिंह नि0 शीतलमऊ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के नगर पंचायत चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 07.10.2021 को वादिनी द्वारा उक्त आरोपी विकास पर यह आरोप लगाते हुये तहरीर दी गयी कि विकास के द्वारा उन्हें कई महीनों से स्कूल आते जाते समय रास्ते में छेड़ा जाता था तथा दिनांक 04.10.2021 को विकास के द्वारा उक्त वादिनी को पकड़कर छेड़खानी की गयी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 637/2021 धारा 354, 354क, 354ख, 354घ, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. विकास सिंह पुत्र राजकुमार सिंह नि0 शीतलमऊ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम– उ0नि0श्री असलम खां, आरक्षी नारायणजी व आरक्षी योगेन्द्र थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।